न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 134 / 2021 प्रा.पत्र(इन्द्राज दुरूस्ती) GCMS No. 2021/315

1. श्री मिठालाल पुत्र श्री देवा जी भील (गमेती) निवासी फांदा तहसील गिर्वा उदयपुर
2. श्री गमेरा पुत्र श्री देवा जी भील (गमेती) निवासी फांदा तहसील गिर्वा उदयपुर
3. श्री केसुलाल पुत्र श्री देवा जी भील (गमेती) निवासी फांदा तहसील गिर्वा उदयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लोगर पिता नाथु जी भील (गमेती) निवासी फांदा तहसील गिर्वा उदयपुर
2. श्री खुमा पिता नाथु जी भील (गमेती) निवासी फांदा तहसील गिर्वा उदयपुर
3. श्री लोगर पिता गांगा जी भील (गमेती) निवासी फांदा तहसील गिर्वा उदयपुर
4. श्री बगताराम पिता गांगा जी भील, (गमेती) नि. फांदा तहसील गिर्वा उदयपुर
5. मृतक भेरूलाल पुत्र श्री देवा जी भील (गमेती) के बजाय
   (5 / 1) श्री देवेन्द्र पुत्र श्री भेरूलाल भील (गमेती) नि. फांदा तह. गिर्वा उदयपुर
   (5 / 2) श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री भेरूलाल भील (गमेती) निवासी फांदा तहसील गिर्वा उदयपुर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर
7. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री ललित कुमार जैन अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. कल्पित जैन पैरोकार सरकार
3. श्री विजय कुमार चौहान अधिवक्ता विपक्षी सं. 7

निर्णय

दिनांक : 27.06.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा फांदा, तहसील गिर्वा मे कृषि भूमि साबिक नम्बर 423 / 7 जिसका रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नम्बर 848 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, 854 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, 855 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, 856 रकबा 0. 2400 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.6700 हेक्टेयर भूमि मिलान क्षेत्रफल अनुसार बनते है। उक्त साबिक आराजी नम्बर 423 / 7 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा यानि कि 0.6157 हेक्टेयर होकर उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 के मौरूस के समय से खातेदारी हक से चली आ रही है, तब से प्रार्थीगण एवं

विपक्षी संख्या 1 से 5 के पिता व दादा उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित सजरे अनुसार मूल पुरूष जेता पिता होमा जी भील थे जिनके तीन पुत्र नाथु, गांगा व देवा हुए, जिनका स्वर्गवास हो गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 नाथु के पुत्र, विपक्षी संख्या 3 व 4 गांगा के पुत्र तथा प्रार्थीगण देवा के पुत्र व विपक्षी संख्या 5/1 व 5/2 देवा के मृतक पुत्र भेरूलाल के पुत्र होकर पौत्र हैं। इस तरह से प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 का जेता जी के मौरूसी सम्पत्ति में 1/3, 1/3 हक हिस्सा होकर खातेदार, काश्तकार हैं। ताईद में जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034 की नकल प्रस्तुत है, जिसमें जेता जी के वारिस के रूप में नाथु, गांगा व देवा जी जो प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 के मौरूस है उनका नाम दर्ज है। इसके बाद गांव फांदा, तहसील गिर्वा की पैमाईश शुरू हो गई व दौराने पैमाईश उक्त साबिक आराजी नम्बर 423/7 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा (0.6157 हेक्टेयर) के नये नम्बर हाल आराजी नम्बर 848, 854, 855, 856 रकबा 0.6700 हेक्टेयर बनाकर बिलानाम भूमि में से कुछ हिस्सा मिलाकर बिलानाम सरकार दर्ज कर लिया गया, जो बिना अधिकार के है तथा सेटलमेन्ट अधिकारियों को इस तरह से खातेदारी जमीन को बिलानाम जमीन में मिलाकर बिलानाम सरकार दर्ज करने का कोई हक, अधिकार नहीं है। सेटलमेन्ट अधिकारी को केवल पुराने इन्द्राज को ही रिपीट करना होता है। ताईद में खसरा मिलान क्षेत्रफल की प्रति एवं जमाबन्दी संवत् 2042 की प्रति पेश है। साबिक आराजी नम्बर 423/7 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि का हाल रकबा 0.6157 हेक्टेयर बनता है। कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 के मौरूस जेता जी के समय से करीब 70–80 वर्ष पूर्व से कब्जे एवं खातेदारी में चली आ रही है। इस भूमि पर प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 के पिता, दादा व परदादा ने काफी मेहनत कर लागत लगा उक्त भूमि को उपजाउ बनाया है तथा प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 इसके खातेदार काश्तकार होकर काबिज चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 5 भेरूलाल पुत्र श्री देवा जी भील की मृत्यु हो जाने से विपक्षी संख्या 5/1 व 5/2 देवेन्द्र व चन्द्रप्रकाश मृतक भेरूलाल के वारिस होने से उन्हें मुकदमा पक्षकार बनाया है। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 ही देवा, नाथु व गांगा के वारिस है, इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है, अतः इन्द्राज दुरूस्ती कराई जाकर उक्त हाल आराजी नम्बर 848, 854, 855, 856 रकबा 0.6700 में से 0.6157 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 5/1, 5/2 के नाम 1/3, विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम 1/3 व विपक्षी संख्या 3 व 4 के नाम से 1/3 हक व हिस्से से दर्ज कराया जाना आवश्यक है। पैमाईश के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारी सिर्फ तीन परिस्थिति में ही इन्द्राज बदल सकते हैं, प्रथम न्यायालय का आदेश हो, द्वितीय विरासत अनुसार एवं तृतीय यदि कोई विक्रय का इन्द्राज हो, इसके अलावा उन्हें इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है,

इस कारण प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम का पुनः इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार के आदेश से उदयपुर के आसपास की जमीनें बिलानाम सरकार के नगर विकास प्रन्यास को ट्रान्सफर करने से उक्त जमीनें नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हो गई, इस कारण नगर विकास प्रन्यास को विपक्षी संख्या 7 बनाया गया है। ताईद में नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 68 की प्रति पेश है। उक्त गलती वक्त पैमाईश दर्ज हुई जिसकी प्रार्थीगण को जानकारी अभी तारीख दिनांक 12–08–2021 को उक्त आराजीयात की जमाबन्दी की नकल लेने से हुई।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती करा मौजा फांदा, तहसील गिर्वा के साबिक आराजी नम्बर 423/7 रकबा 0.6157 हेक्टेयर जिसके हाल आराजी नम्बर 848, 854, 855, 856 रकबा 0.6700 हेक्टेयर में से 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि यानि कि .0. 6157 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 1 से 5 के नाम 1/3, 1/3 हक, हिस्से से दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान कर इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। नगर विकास प्रन्यास द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात राजस्व ग्राम फान्दा पटवार हल्का तितरडी तहसील गिर्वा, उदयपुर की आराजी संख्या 848, 854, 855, 856 रिकार्ड अनुसार नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे में कभी रही नहीं थी और उत्तरदाता विपक्षी रिकार्डेड खातेदार है । इस कारण उसके खिलाफ बिना घोषणा की दाद चाहे कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज होने योग्य है। उत्तरदाता विपक्षी के पक्ष में विधिवत एवं सारी प्रक्रिया अपनाकर नामान्तरण किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने के कारण इस स्टेज पर खारीज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 07 नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट के साथ खारीज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

तहसीलदार गिर्वा द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गिर्वा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि उक्त आराजीयात वर्तमान में ग्राम फांदा की जमाबन्दी संवत 2074–77 तक की खाता संख्या 235 पर खातेदार नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त हाल आराजी संख्या 848, 854, 855, 856 साबिक आराजी संख्या 423/7 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा से बना है। उक्त हाल आराजी संख्या 848, 554, 855, 856 मौके पर मौका पर्चा अनुसार पड़त एवं किसी में टीन सैड़ मकान बने हुऐ

है। उक्त विवादित आराजी नम्बर पेराफेरी क्षैत्र में आते है। मौजा फांदा कि साबिक आराजी संख्या 423/7 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि सेटलमेन्ट से पहले जमाबन्दी संवत 2031 से 2033 तक कि खाता संख्या 29 खातेदार नाथु, गंगा, देवा पिता जेता भील सा. देह के नाम हि.ब. दर्ज थी। देवा पिता जेता वादीगण के पिता जी थे जो सैटलमेन्ट के पूर्व साबिक आराजी संख्या 423/7 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा में 1/3 का खातेदार था। उक्त साबिक आराजी संख्या 423/7 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा को सैटनमेन्ट के दौरान बिलानाम कर दिया गया था। जो बाद में बिलानाम से नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज हुआ है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2031–2034, 2042, 2065–2068 मिलान क्षैत्रफल के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन कर अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि राजस्व ग्राम फांदा पटवार मण्डल तीतरड़ी के साबिक आराजी संख्या 423/7 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा होकर प्रार्थीगण के मौरूस जेता पिता होमा के नाम दर्ज थी। जिसका विरासत से नामान्तकरण होकर नाथु, गांगा, व देवा पिता जेता के नाम दर्ज हुई। पेमाईश के दौरान सेटलमेंट अधिकारी द्वारा उक्त साबिक आराजी संख्या 423/7 के हाल आराजी संख्या 848, 854, 855, 856 बनाकर बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया है। प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक आराजी संख्या 427/7 से हाल आ. सं. 848 बना है परन्तु आराजी संख्या 854, 855, 856 साबिक आराजी संख्या 423/7मीन से बनना प्रतीत होता है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि आराजी संख्या 854, 855, 856 साबिक आराजी संख्या 423/7 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से ही बने है तथा प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे जाहिर हो कि प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 423/7 से हाल आराजी संख्या 854, 855, 856 बनाते हुए बिलानाम दर्ज कर दिया गया हो स्पष्ट नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रिया डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा– उदयपुर